PAGE 1 OF 6	अभियोजन साक्षी संख्याः 03

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र परीक्षण संख्या- 546/2025		
राज्य	**बनाम**	रेखा आदि

नाम साक्षीः **पिंकी शर्मा पत्नी शिवम शर्मा व पुत्री राजेन्द्र प्रसाद**	**अपराध संख्या-503/2024**
उम्रः लगभग 31 वर्ष, **पेशाः गृहिणी**	**धारा- 103(1)/190, 191 (2), 115(2)/190, 352/190, 351(2)/190 B.N.S.**
पता साक्षीः **ग्राम मूसेपुर, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर**	**थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर**

<u>दिनांकः-30.03.2026</u>

मैं **साक्षीः पिंकी शर्मा पत्नी शिवम शर्मा व पुत्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्रः लगभग 31 वर्ष, पेशाः गृहिणी, पता साक्षीः ग्राम मूसेपुर, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि.....

1. मेरी माँ का नाम गोमती है। मेरे पिता जी का नाम राजेन्द्र प्रसाद है। हम तीन बहन और एक भाई हैं। तीनों बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद पूजा व सबसे छोटी बहन प्रियंका है। मेरे भाई का नाम राहुल है। मेरी शादी आज से लगभग चार वर्ष पहले शिवम के साथ हो चुकी है। मेरी ससुराल बर्रा-8 कानपुर नगर में है। घटना से लगभग दो माह पहले मैं अपने मायके ग्राम मूसेपुर आयी थी। मेरा भाई राहुल प्राइवेट काम करता था। मेरे भाई की उम्र घटना के समय लगभग बीस वर्ष थी।

2. घटना दिनांक 22.09.2024 की रात्रि लगभग दस बजे की है। उस समय मैं अपने मायके में थी। घर के सभी लोग खाना खाकर घर पर लेटने की तैयारी कर रहे थे। मेरा भाई राहुल खाना खाकर घर के बाहर छोटू की दुकान पर पान-मसाला लेने गया था। छोटू की दुकान मेरे घर से लगभग पाँच-छह मकान की दूरी पर स्थित है। मेरा भाई पान-मसाला लेकर जब वापस घर नहीं आया तो लगभग आधे घंटे बाद हमलोगों ने छोटू की दुकान पर जाकर अपने भाई राहुल के बारे में छोटू से पूछा तो छोटू ने बताया कि राहुल, जागेन्द्र के साथ टंकी की तरफ चला गया है। जागेन्द्र मेरे गाँव का ही रहने वाला है। जागेन्द्र मेरे भाई राहुल के साथ काम करता था। हमलोगों ने सोचा कि जागेन्द्र के साथ राहुल काम करता है इसीलिए राहुल, जागेन्द्र के साथ गया है। यह सोचकर हमलोग घर वापस आ गये कि राहुल कुछ देर बाद घर वापस आ जायेगा।

---

3. उसी रात्रि लगभग ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे बड़े मुन्ना की पुत्री अंकिता ने हमारे घर पर आकर यह बताया कि तुम्हारे भाई राहुल को हमारे घर-परिवार वाले मार रहे हैं। उस समय मेरे घर पर मैं, मेरे मम्मी-पापा, मेरी बहन पूजा व छोटी बहन प्रियंका घर पर मौजूद थे। उक्त सूचना पर मैं, मेरी दोनों बहनें, मेरे माता-पिता रेखा पत्नी मुन्ना के घर गये। रेखा, अंकिता की माँ है। हमलोगों ने रेखा के घर जाकर देखा कि मेरे भाई राहुल को रेखा के घर में छोटे मुन्ना, जागेन्द्र, रेखा, नितेश व अंकित अपने हाथ में लिये लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी व लोहे की राड से मार रहे हैं। जागेन्द्र के हाथ में कुल्हाड़ी, छोटे मुन्ना के हाथ में लोहे की राड थी। शेष अभियुक्तों के हाथ में लाठी-डंडे थे। इन्हीं हथियारों से अभियुक्तगण मेरे भाई राहुल को मार रहे थे। हमलोगों ने अपने भाई राहुल को बचाने का प्रयास किया तो उक्त अभियुक्तों ने हमलोगों के साथ धक्कामुक्की की व गाली देते हुए मारपीट की। अभियुक्ता रेखा ने मेरे पेट पर लाठी मारी। मैं उस समय गर्भवती थी और उस समय मेरे पेट में सात माह का गर्भ था। रेखा के डंडा मारने से मैं चारपाई पर गिर गयी थी। मेरे पेट में तीव्र दर्द होने लगा था। अभियुक्तगण द्वारा मेरे भाई राहुल को मारने-पीटने से उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयी थीं। सभी अभियुक्तगण ने मिलकर मेरे भाई राहुल को बेरहमी से मारापीटा जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आयीं। राहुल के सिर, मुँह व शरीर पर आयी चोटों से खून बह रहा था। वह खून से लथपथ था। उसके कपडे भी खून से सन गये थे।

4. हम सभी लोगों ने शोर मचाया था। हम सभी लोगों के शोर मचाने पर गाँव के लोग एकत्र हो गये थे तो अभियुक्तगण अपने हाथ में लिये हथियार लेकर मौके से भाग गये थे। मेरी बहन पूजा ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी थी। पुलिस के आने से पहले एंबुलेंस आ गयी थी। हमलोग अपने भाई राहुल को एंबुलेंस से इलाज हेतु सरकारी अस्पताल घाटमपुर ले जा रहे थे कि तभी उपरोक्त अभियुक्तगण व अंकिता की मौसी का लड़का जिसका नाम विपिन है, आ गये और मेरे भाई राहुल को इलाज हेतु ले जाने से रोकने लगे और कहने लगे कि साले को इतना मारा है लेकिन अभी ये मरा नहीं है। इसको अभी जान से मार देंगे। हमलोग घबड़ा रहे थे कि तभी पुलिस आ गयी थी। पुलिस के आने के बाद पुलिसवालों के सहयोग से मेरे घर के लोग राहुल को इलाज हेतु घाटमपुर स्थित सरकारी अस्पताल ले गये थे। भाई राहुल की हालत गंभीर होने के कारण उसे घाटमपुर स्थित सरकारी अस्पताल से हैलट अस्पताल कानपुर नगर रेफर कर दिया था। वहीं पर चिकित्सकों ने उसका इलाज किया था। दिनांक 24.09.2024 की रात लगभग आठ बजे मेरे भाई राहुल की हैलट अस्पताल कानपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

5. इस घटना की रिपोर्ट मेरी बहन पूजा ने घाटमपुर थाने में लिखायी थी।

6. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। पुलिस को मैंने सारी बातें न्यायालयबता दीं थीं।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह (एड०) वास्ते अभियुक्त विपिन

7. घटना की सूचना बड़े मुन्ना की पुत्री अंकिता ने मेरे घर आकर दी थी। अंकिता ने यह सूचना लगभग ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे दी थी। मेरा भाई राहुल रात्रि लगभग नौ बजे पान-मसाला की पुड़िया लेने गया था। पानी की टंकी अंकिता के घर के पीछे की तरफ है।

8. मेरे घर से अंकिता के घर के बीच लगभग पांच-छह घर हैं। अंकिता ने जब घटना की सूचना दी थी उसके लगभग दस मिनट में हमलोग घटनास्थल पर पहुँच गये थे। जब हमलोग रेखा के घर पहुँचे थे तब जागेन्द्र, छोटे मुन्ना, विपिन, रेखा, नितेश मिलकर मेरे भाई राहुल को मार रहे थे। हमलोगों ने राहुल को बचाने का प्रयास किया तो उपरोक्त लोगों ने हमलोगों को घर के अंदर जाने नहीं दिया।

9. जब हमलोग अपने भाई राहुल को एंबुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे तब उस समय विपिन, जागेन्द्र, छोटे मुन्ना, रेखा, नितेश ने एंबुलेंस रोक ली और राहुल को अस्पताल ले जाने से रोकने लगे और सभी लोग कहने लगे कि अगर राहुल को अस्पताल ले जाने की कोशिश करोगे तो हमलोग उसे जान से मार देंगे। रोकने के दौरान ही रेखा ने मेरे पेट में डंडा मारा था जिससे मैं वहीं पर चारपाई पर गिर पड़ी थी। एंबुलेंस रोकने के दौरान विपिन के हाथ में डंडा था, जागेन्द्र के हाथ में कुल्हाड़ी, छोटे मुन्ना के हाथ में लोहे की राड थी व शेष अभियुक्त हाथ में डंडा लिये थे। जब रेखा ने मुझे डंडा मारा था तब मैंने डंडे को हाथ से रोक दिया था। जब हमलोग एंबुलेंस से राहुल को अस्पताल ले जा रहे थे उसके कुछ देर बाद पुलिस आयी थी। पुलिस के आने पर अभियुक्तगण भाग गये थे। अभियुक्तगण एक ही बार मौके से भागे थे। जब हमलोग घटनास्थल पर पहुँचे थे तब उपरोक्त अभियुक्तों के साथ अंकित राहुल के साथ मारपीट कर रहा था और जब हमलोग एंबुलेंस से राहुल के अस्पताल ले जा रहे थे तब एंबुलेंस को रोकने के दौरान भी अंकित मौजूद था।

10. मुझे घटना की सूचना लगभग साढ़े ग्यारह बजे प्राप्त हुई थी। सभी अभियुक्त मिलकर राहुल को मार रहे थे। अभियुक्तों की संख्या पाँच थी। विपिन भी मेरे भाई राहुल को मार रहा था। जब हमलोग राहुल को एंबुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे तब विपिन ने गालीगलौच की थी और कहा था कि अगर ले जाओगे तो इसे जान से मार देंगे।

11. मुझे जानकारी नहीं है कि राहुल व अंकिता के बीच क्या संबंध था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री संजय शुक्ला (एड०) वास्ते अभियुक्त जागेन्द्र

12. मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि "मेरी माँ का नाम गोमती है। मेरे पिता जी का नाम राजेन्द्र प्रसाद है। हम तीन बहन और एक भाई हैं। तीनों बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद पूजा व सबसे छोटी बहन प्रियंका है। मेरे भाई का नाम राहुल है। मेरी शादी आज से लगभग चार वर्ष पहले शिवम के साथ हो चुकी है। मेरी ससुराल बर्रा-8 कानपुर नगर में है। घटना से लगभग दो माह पहले मैं अपने मायके ग्राम मूसेपुर आयी थी। मेरा भाई राहुल प्राइवेट काम करता था। मेरे भाई की उम्र घटना के समय लगभग बीस वर्ष

थी।" अगर उक्त बात पुलिस ने मेरे बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती।

13. मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि "घटना दिनांक 22.09.2024 की रात्रि लगभग दस बजे की है। उस समय मैं अपने मायके में थी। घर के सभी लोग खाना खाकर घर पर लेटने की तैयारी कर रहे थे। मेरा भाई राहुल खाना खाकर घर के बाहर छोटू की दुकान पर पान-मसाला लेने गया था। छोटू की दुकान मेरे घर से लगभग पाँच-छह मकान की दूरी पर स्थित है। मेरा भाई पान-मसाला लेकर जब वापस घर नहीं आया तो लगभग आधे घंटे बाद हमलोगों ने छोटू की दुकान पर जाकर अपने भाई राहुल के बारे में छोटू से पूछा तो छोटू ने बताया कि राहुल, जागेन्द्र के साथ टंकी की तरफ चला गया है। जागेन्द्र मेरे गाँव का ही रहने वाला है। जागेन्द्र मेरे भाई राहुल के साथ काम करता था। हमलोगों ने सोचा कि जागेन्द्र के साथ राहुल काम करता है इसीलिए राहुल, जागेन्द्र के साथ गया है। यह सोचकर हमलोग घर वापस आ गये कि राहुल कुछ देर बाद घर वापस आ जायेगा।।" अगर उक्त बात पुलिस ने मेरे बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती।

14. मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि "उसी रात्रि लगभग ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे बड़े मुन्ना की पुत्री अंकिता ने हमारे घर पर आकर यह बताया कि तुम्हारे भाई राहुल को हमारे घर-परिवार वाले मार रहे हैं। उस समय मेरे घर पर मैं, मेरे मम्मी-पापा, मेरी बहन पूजा व छोटी बहन प्रियंका घर पर मौजूद थे। उक्त सूचना पर मैं, मेरी दोनों बहनें, मेरे माता-पिता रेखा पत्नी मुन्ना के घर गये। रेखा, अंकिता की माँ है। हमलोगों ने रेखा के घर जाकर देखा कि मेरे भाई राहुल को रेखा के घर में छोटे मुन्ना, जागेन्द्र, रेखा, नितेश व अंकित अपने हाथ में लिये लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी व लोहे की राड से मार रहे हैं। जागेन्द्र के हाथ में कुल्हाड़ी, छोटे मुन्ना के हाथ में लोहे की राड थी। शेष अभियुक्तों के हाथ में लाठी-डंडे थे। इन्हीं हथियारों से अभियुक्तगण मेरे भाई राहुल को मार रहे थे। हमलोगों ने अपने भाई राहुल को बचाने का प्रयास किया तो उक्त अभियुक्तों ने हमलोगों के साथ धक्कामुक्की की व गाली देते हुए मारपीट की। अभियुक्ता रेखा ने मेरे पेट पर लाठी मारी। मैं उस समय गर्भवती थी और उस समय मेरे पेट में सात माह का गर्भ था। रेखा के डंडा मारने से मैं चारपाई पर गिर गयी थी। मेरे पेट में तीव्र दर्द होने लगा था।" अगर उक्त बात पुलिस ने मेरे बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती।

15. मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि "सभी अभियुक्तगण ने मिलकर मेरे भाई राहुल को बेरहमी से मारापीटा जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आयीं। राहुल के सिर में व शरीर पर आयीं चोटों से खून बह रहा था। वह खून से लथपथ था। उसके कपड़े भी खून से सन गये थे। हम सभी लोगों ने शोर मचाया था। हम सभी लोगों के शोर मचाने पर गाँळ के लोग एकत्र हो गये थे तो अभियुक्तगण अपने हाथ में लिये हथियारों को लेकर मौके से भाग गये थे। मेरी बहन पूजा ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी थी। पुलिस के आने से पहले एंबुलेंस आ गयी थी। हमलोग अपने भाई राहुल को एंबुलेंस से इलाज हेतु सरकारी अस्पताल घाटमपुर ले जा रहे थे कि तभी उपरोक्त अभियुक्तगण इलाज हेतु ले जाने से

रोकने लगे और कहने लगे कि साले को इतना मारा है लेकिन अभी ये मरा नहीं है। इसके अभी जान से मार देंगे। हमलोग घबरा रहे थे कि तभी पुलिस आ गयी थी। पुलिस के आने के बाद पुलिसवालों के सहयोग से मेरे घर के लोग राहुल इलाज हेतु घाटमपुर स्थित सरकारी अस्पताल ले गये थे। भाई राहुल की हालत गंभीर होने के कारण उसे घाटमपुर स्थित सरकारी अस्पताल से हैलट अस्पताल कानपुर नगर रेफर कर दिया था। वहीं पर चिकित्सकों ने उसका इलाज किया था। दिनांक 24.09.2024 की रात लगभग आठ बजे मेर भाई राहुल की हैलट अस्पताल कानपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।" अगर उक्त बात पुलिस ने मेरे बयानों में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। (मुख्य परीक्षा का पैरा-4)

16. मैं किसी भी अस्पताल में अपने भाई को देखने नहीं गयी थी। मैं अपने पति के साथ भी भाई को देखने अस्पताल नहीं गयी थी।

17. मैंने अपना कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था। मैंने अपना उपचार कराया था। मैंने डा० विनेश से दवा ली थी। मैंने घायल व मरणासन्न अवस्था में राहुल को देखा था। राहुल के सिर में कुल्हाड़ी के घाव थे। मैंने राहुल के सिर में कुल्हाड़ी के दो-तीन घाव देखे थे। घाव कितने लम्बे व गहरे थे यह मैंने नहीं देखा।

18. जहाँ पर घटना घटी वहाँ से पानी की टंकी पीछे की तरफ है। वहीं से डामर रोड़ निकली है। घनघोर अंधेरी रात थी।

19. यह कहना गलत है कि घनघोर अंधेरा होने के कारण कुछ दिखायी नहीं दे रहा था।

20. यह कहना गलत है कि टंकी के पास निकली डामर रोड़ पर लोडर ने मेरे भाई राहुल को टक्कर मार दी हो जिससे वह चोटिल हो गया हो।

21. यह भी कहना गलत है कि अंकिता मेरे मायकेवालों को दिनांक 22.09.2024 की रात लगभग ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे कोई बात बताने/सूचना देने न आयी हो।

22. यह कहना सही है कि जागेन्द्र व राहुल के मध्य कोई रंजिश व बुराई नहीं थी।

23. यह कहना गलत है कि दिनांक 22.09.2024 के दिन अथवा रात मैं मूसेपुर स्थित मायके में उपस्थित नहीं थी बल्कि अपनी ससुराल बर्रा-8 कानपुर शहर में अपने पति के साथ अपनी ससुराल में उपस्थित थी।

24. यह कहना सही है कि मैं अपनी ससुराल बर्रा-8 कानपुर नगर में रहती हूँ और अपने मायके आती-जाती हूँ।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री संदीप कुमार (एड०) द्वारा शेष अभियुक्तगण

25. घटना के समय मैं मायके में थी और इस घटना की सूचना अंकिता ने मेरे मायके वाले घर आकर दी थी। राहुल को अस्पताल मेरी बहन पूजा व मेरे पति शिवम शर्मा लेकर गये थे। मैं अस्पताल नहीं गयी थी। मृत्यु की सूचना पर भी मैं हैलट अस्पताल नहीं गयी थी।

26. पुलिस ने सादे कागज पर मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं कराये थे। मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि इस घटना में छोटेलाल नाम का कोई व्यक्ति भी मारपीट में शामिल था। घटना के दो माह पहले मैं मायके आयी थी उसके एक माह पहले मैं अपनी ससुराल गयी थी। इस घटना से पहले राहुल व मुल्जिमानों के बीच कोई वाद-विवाद नहीं हुआ था।

27. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। पुलिस ने मेरे बयान 22 तारीख को लिये थे। पुलिस ने रात में मेरे बयान लिये थे। पुलिस ने मेरे बयान घर (मायके) में लिये थे। बाद में साक्षी ने कहा कि जहाँ पर अभियुक्तों द्वारा राहुल को मारापीटा गया था वहीं पर पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

28. यह कहना गलत है कि घटना के समय मैं अपनी ससुराल में उपस्थित थी।

29. यह सही है कि दूध डेरी का लोडर गाँव में रात में आता-जाता था। मुझे जानकारी नहीं है कि उक्त दूध लोडर मेरे घर के दरवाजे से निकलता था या नहीं।

30. यह कहना गलत है कि राहुल दूध डेरी के लोडर की चपेट में आ गया हो जिससे वह गंभीर रुप से घायल होकर मरणासन्न हो गया हो।

31. यह कहना गलत है कि मैं पूजा शर्मा के कहने पर आज माननीय न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा अंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT